EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 181-182

Dated 2-5-2009

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2009

लोक सभा/राज्य सभा की पटल पर रखे जाने वाले कागजात अधिप्रमाणित

पृथ्वीराज चव्हाण 19/6
राज्य मंत्री
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

सा.का.नि. 54.—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 की प्रधान रजिस्ट्रार के पद से संबंधित अनुसूची में —

(i) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"37400-67000 धन ग्रेड वेतन, 10,000 रु."

(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"चयन"

(iii) स्तंभ 11 के शीर्षक में, "पदों की प्रतिशतता" शब्दों के स्थान पर "रिक्तियों की प्रतिशतता" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) स्तंभ 13 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	–	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित उपाध्यक्ष या सदस्य	–	सदस्य
3. सचिव या अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	–	सदस्य"

[फा. सं. ए-12011/1/2009-एटी.]

ए. के. पटने, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1036(अ) तारीख 27 अक्तूबर, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 1024(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1989, सा.का.नि. 494 तारीख 20 अगस्त, 1991, सा.का.नि. 472(अ) तारीख 20 अगस्त, 1997 और सा.का.नि. 154(अ) तारीख 23 फरवरी, 2000 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

Papers to be laid on the Table of Lok Sabha/Rajya Sabha
AUTHENTICATED

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2009

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by sub-section(s) (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

PRITHVIRAJ CHAVAN
Minister of State for Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Govt. of India, New Delhi

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1988, in the Schedule, relating to the post of Principal Registrar.

(i) in column 4 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 37,400—67,000 plus Grade Pay Rs. 10,000"

(ii) in column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely :—

"Selection"

(iii) in column 11, in the heading, for the words "percentage of posts", the words "percentage of vacancies" shall be substituted

(iv) in column 13, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or deputation) consisting of :—

1. Chairman, Central Administrative Tribunal	—	Chairman
2. Vice-Chairman or Member nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal	—	Member
3. Secretary or Additional Secretary, Department of Personnel and Training	—	Member."

[No. A-12011/1/2009-AT]

A. K. PATNEY, Under Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 1036(E), dated the 27th October, 1988 and subsequently amended vide G.S.R. 1024(E), dated the 20th November, 1989, G.S.R. 494 dated the 20th August, 1991, G.S.R. 472(E), dated the 20th August, 1997 and G.S.R. 154(E), dated the 23rd February, 2000.

IndiaCode

MGIPRRND—1632 PPG&P/09—150.